



Neutral Citation No.- 2026:AHC:14009

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-44304 वर्ष 2024

सुलतान आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शम्स उज़ ज़मान

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अविनाश पांडे, शासकीय अधिवक्ता, नीतेश कुमार

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री शम्स उज जमान, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री अविनाश पांडे, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2024 के मामले अपराध संख्या-34 में धारा 302, 201 भ०द०वि०, थाना-कंधला, ज़िला: शामली के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने पुलिस को सूचित किया था कि उसकी पत्नी को 2.2.2024 की रात को रास्ते में कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक ने एक वास्तविक कार्य के रूप में पुलिस को सूचित किया और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्कूटी और स्कू-डाइवर के साथ शव को पास में पाया। आवेदक ने उक्त अपराध करने का कोई मकसद नहीं रखा।
6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि मृतक व्यक्ति के साथ आवेदक का विवाह घटना से ठीक तीन महीने पहले हुआ था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक



3.2.2024 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है क्योंकि चार गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और आवेदक ने स्वयं हत्या की है और इसे डकैती और हत्या का मामला दिखाने के लिए खुद कहानी तैयार की है।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे आवेदक को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 20, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।